

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

राज्य मिशन निदेशक(एसबीएम)/निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक 10 अक्टूबर, 2023

विषय:- स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय 2.0 के अन्तर्गत 01 लाख कम जनसंख्या वाले शहरी निकाय के लिए सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों/यूरिनल का निर्माण हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-पी0एम0यू0/8932/547/2023, दिनांक 05.09.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय 2.0 के अन्तर्गत 01 लाख कम जनसंख्या वाले शहरी निकाय के लिए सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों/यूरिनल का निर्माण हेतु **₹0 5,78,95,495.00 (रुपये पांच करोड़ अठहत्तर लाख पंचानबे हजार चार सौ पंचानबे मात्र)** पुनर्विनियोग के माध्यम से संलग्न बी0एम0-9 के अनुसार निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-


नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

- (1) स्वीकृत धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर स्टेट मिशन डायरेक्टर (एसबीएम)2.0 के पदनाम से खुले शेडयूल्ड कामर्शियल बैंक में स्टेट नोडल खाते में रखी जायेगी एवं उक्त स्टेट नोडल खाते से लिंक नगरीय निकायों के स्वच्छ भारत मिशन परियोजना के खोले गये खाते में अन्तरित की जायेगी।
- (2) स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत यथानिर्धारित शर्तों/प्रतिबन्ध के अधीन प्रश्रुत धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों पर किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृति दी जा रही है। स्वीकृत धनराशि किसी अन्य कार्य पर व्यय नहीं की जायेगी।
- (3) अवमुक्त धनराशि का उपभोग भारत सरकार की गाइड-लाइन्स के अनुसार किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार/शासन/महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज को उपलब्ध कराया जाय।
- (4) धनराशि एकमुश्त अहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि का कोई अंश बैंक/पोस्ट आफिस/डिपाजिट खाता में नहीं रखा जायेगा, इसका रख-रखाव भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार किया जायेगा।
- (5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।
- (6) इस संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (7) राज्या मिशन निदेशक, स्वच्छो भारत मिशन (नगरीय) द्वारा 'सेंटेज चार्जेज, निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बंधित वित्तीय प्रबंधन' सम्बंधी वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मई, 2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 19 मई, 2023 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

- (8) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।
- (9) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (10) 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन है कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
- (11) यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य अन्य किसी कार्य योजना से संबंधित है।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 5,78,95,495 (रुपये पांच करोड़ अठहत्तर लाख पंचानबे हजार चार सौ पंचानबे मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2215021070508 01** लाख से कम जनसंख्या वाले शहरी निकाय के लिए सामुदायिक / सार्वजनिक शौचालयों / यूरिनल का निर्माण (के.50/रा.33/ला.17 - के.) **मानक मद 35** पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।


3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-9-265-X-2023-24-दिनांक: 10-10-2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।


भवदीय,
10.10.2023
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-155/2023/5326/नौ-5-2023/002-Computer No 1420471-SBM, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- 2-महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- 3-संयुक्त सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
- 4-निदेशक (एसबीएम), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 5-मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6-प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम(नगरीय), लखनऊ।
- 7-निदेशक, सीएण्डडीएस, उ०प्र० जल निगम(नगरीय), लखनऊ।
- 8-सहायक निदेशक (लेखा) नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
- 9-निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- 10-निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- 11-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
- 12-निजी सचिव, मा० मंत्री, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 13-गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।


आज्ञा से,
10.10.2023
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

बी एम-9 (भाग - 1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैन्युअल का प्रस्तर- 158)

A009-20232024-Computer No 1420471 -SBM

विषय:- स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय 2.0 के अन्तर्गत यूज्ड वाटर मैनेजमेन्ट मद से 01 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरी निकाय के लिए सामुदायिक/ सार्वजनिक शौचालयों / यूरिनल का निर्माण मद में पुनर्विनियोग कराये जाने के संबंध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
037	2215021070512 (01 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरी निकाय के लिए यूज्ड वाटर मैनेजमेंट संबंधी कार्य (के.50/रा.33/ला.17 - के.))	35 (पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान)	8,46,88,00,000 रुपये आठ अरब छियालीस करोड़ अट्ठासी लाख मात्र	5,90,57,50,000 रुपये पांच अरब नव्वे करोड़ सत्तावन लाख पचास हजार मात्र	-5,78,95,495 रुपये पांच करोड़ अठहत्तर लाख पंचानबे हजार चार सौ पंचानबे मात्र	8,41,09,04,505	2023-2024

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
037	2215021070508 (01 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरी निकाय के लिए सामुदायिक / सार्वजनिक शौचालयों / यूरिनल का निर्माण (के.50/रा.33/ला.17 - के.))	35 (पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान)	18,26,32,000 रुपये अठारह करोड़ छब्बीस लाख बत्तीस हजार मात्र	5,78,95,495 रुपये पांच करोड़ अठहत्तर लाख पंचानबे हजार चार सौ पंचानबे मात्र	24,05,27,495	2023-2024

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

(1) स्तम्भ-1 में अंकित लेखाशीर्षक के अन्तर्गत परिपक्व प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण बचत हो रही है।

(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है :-

स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय 2.0 के अन्तर्गत 01 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरी निकाय के लिए सामुदायिक/ सार्वजनिक शौचालयों / यूरिनल का निर्माण मद में आवश्यक धनराशि उपलब्ध न होने के कारण परिपक्व प्रस्ताव के सापेक्ष अधिक धनराशि की आवश्यकता है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ.प्र. बजट मैनुअल के प्रस्तर- 150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या: आर.ईसंख्या.-बजट-1- 102 दिनांक 25.09.2023

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),

प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश,

इलाहाबाद।

(कल्याण बनर्जी)

संयुक्त सचिव

(सिद्धार्थ श्रीवास्तव)

अपर निदेशक

संख्या :155/2023/5326/नौ-5-2023 दिनांक- 10 अक्टूबर, 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- 2-महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- 3-संयुक्त सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
- 4-निदेशक (एसबीएम), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 5-मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6-राज्य मिशन निदेशक(एसबीएम)/निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
- 7-प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), लखनऊ।
- 8-निदेशक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), लखनऊ।
- 9-सहायक निदेशक (लेखा) नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
- 10-निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- 11-निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
- 12-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
- 13-निजी सचिव, मा0 मंत्री, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 14-गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

(कल्याण बनर्जी)

संयुक्त सचिव